उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-62/सीपी 671/84-2-2014-सीपी 20/2005
लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई ,2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण कोष नियम, 2006 के नियम-5(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में निहित धन की उपभोक्ताओं के कल्याणार्थ समुचित उपयोग हेतु संस्तुति करने के लिये प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति में राज्य स्तरीय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य नामित करने की व्यवस्था है।

2. इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या-सीपी 314/84-2-2011-सीपी 20/2005, दिनांक 11 जुलाई, 2011 को अवक्रमित करते हुए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष समिति में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र स्व0 राम लखन सिंह, ग्राम व पोस्ट झोकवारा, तहसील-कुण्डा, जनपद-प्रतापगढ को श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सदस्य नामित करते हैं।

मो0 जुनीद
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-62/सीपी 671 (1)/ 84-2-2014-सीपी 20/2005, तद्-दिनांक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(5) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
(6) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
(8) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7, बालाकदर रोड, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
(10) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप/खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र स्व0 राम लखन सिंह, ग्राम व पोस्ट झोकवारा, तहसील-कुण्डा, जनपद-प्रतापगढ।
(12) श्री सईद खां पुत्र श्री बुनियाद खां, सचिव, सम्पूर्ण सहयोग संस्थान, 3/97, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in